कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

आदेश

02/नि० स्था० (अव०–06) – 09/2017

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या 826 दिनांक 21.08.2017 द्वारा कार्यपालिका नियमावली–1979 (यथा संशोधित) की चतुर्थ अनुसूची के भाग–ख की कंडिका–2(ii) के विलोपन के संदर्भ में वित्त विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त परामर्श अनुसार निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत अराजपत्रित सरकारी सेवकों को आकस्मिक एवं प्रतिबंधित अवकाश से भिन्न अन्य अवकाशों (अध्ययन अवकाश को छोड़कर) की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार के संबंध में निम्नांकित आदेश दिया जाता है :–

"बिहार सेवा संहिता के परिशिष्ट–1 की कंडिका–16 के अनुसार सहयोग समितियाँ के उप–निबंधक द्वारा या जिस प्रमंडल में यह पद रिक्त हो, अथवा सृजित नहीं हों, वहाँ उनसे उच्च स्तर के पदाधिकारी यथा प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ के द्वारा यथा वर्णित उपरोक्त अवकाश की स्वीकृति दी जाएगी।"

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। साथ ही, इस आदेश के अधीन मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना की वर्णित अधिसूचना की तिथि यथा दिनांक 21.08.2017 एवं इसके पश्चात् के लम्बित अवकाश की स्वीकृति भी दी जा सकेगी।

3. उपरोक्त आदेश में वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।

28.5.18

(रचना पाटिल)
निबंधक,
सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4617 /पटना, दिनांक 28.05.18
02/नि० स्था० (अव०–06) – 09/2017

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (अंकेक्षण सहित)/प्रमंडलीय उप निबंधक, सहयोग समितियाँ/उप–मुख्य अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ/जिला सहकारिता पदाधिकारी/जिला अंकेक्षण पदाधिकारी/प्राचार्य, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा/सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (खादी सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी तथा सभी उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.5.18

निबंधक,
सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

Node 5 E ARS Files E I. Grand.doc Ashok